कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 305/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 05.08.2026

थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़

इंस्टाग्राम पर ड्रोन कैमरा खरीदने के नाम पर हुई साइबर ठगी का ₹3,400 पीड़ित के खाते में कराया गया वापस

साइबर हेल्प डेस्क बरदह की प्रभावी कार्रवाई से एमआरएम पोर्टल के माध्यम से पीड़ित को मिली राहत

दिनांक 15.03.2026 को अमित यादव पुत्र सुन्दर यादव निवासी खरगीपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा इंस्टाग्राम पर ड्रोन कैमरा खरीदने का विज्ञापन देखने के उपरांत दिए गए लिंक पर क्लिक कर भुगतान किया गया, जिसके फलस्वरूप उनके साथ ₹3,400 की साइबर ठगी हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा उसी दिन एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 33103260058845 दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खाते में धोखाधड़ी की धनराशि होल्ड कराई गई। तत्पश्चात विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर *एमआरएम (Money Restoration Module) पोर्टल* के माध्यम से पीड़ित के बैंक खाते में ₹3,400 की संपूर्ण धनराशि वापस करा दी गई, जिससे पीड़ित को राहत मिली।

थाना बरदह साइबर पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष बरदह चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 मनीष सिंह, म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह, जनपद- आजमगढ़

दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

वादी मुकदमा दीपक पुत्र रामचेत विश्वकर्मा निवासी ग्राम पचेवरा, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि उनकी बहन वर्षा विश्वकर्मा का विवाह वर्ष 2021 में जयहिन्द विश्वकर्मा पुत्र लालता प्रसाद विश्वकर्मा निवासी सकरामऊ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के साथ हुआ था। दिनांक 04.08.2026 को प्रातः लगभग 05:00 बजे फोन के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है। वादी का आरोप है कि पति जयहिन्द विश्वकर्मा, ससुर लालता प्रसाद विश्वकर्मा, सास मालती तथा जेठानी द्वारा दहेज की मांग को लेकर विवाह के बाद से लगातार प्रताड़ित किया जाता था तथा उनकी बहन की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देकर सूचना दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 266/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 05.08.2026 को थाना प्रभारी बरदह चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त जयहिन्द पुत्र लालता प्रसाद विश्वकर्मा निवासी सकरामऊ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को जिवली तिराहे के पास से प्रातः 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 266/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- जयहिन्द पुत्र लालता प्रसाद विश्वकर्मा निवासी सकरामऊ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष बरदह चन्द्रदीप कुमार, हे0का0 कमलेश प्रसाद, रि0का0 योगेश कुमार दुबे, रि0म0आ0 बीनू सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 05.08.2026
जनपद आजमगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा "ऑपरेशन दहन" की सफलता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को किया गया सम्मानित

करीब 830 किग्रा मादक पदार्थों के विनष्टीकरण में सराहनीय योगदान देने वाले 16 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र

जनपद के पुलिस कर्मियों ने कीमत करीब 05 करोड़ 83 लाख रुपये के मादक पदार्थ के विनष्टीकरण में दिया था सराहनीय योगदान

जनपद आजमगढ़ में मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं **"ऑपरेशन दहन"** अभियान के अंतर्गत **जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी** द्वारा दिनांक 06.07.2026 को कुल 827.856 किलोग्राम मादक पदार्थ (गांजा, डायजापाम एवं अन्य मादक पदार्थ) का विधि सम्मत एवं सुरक्षित विनष्टीकरण कराया गया था। उक्त विनष्टीकरण की अनुमानित कीमत लगभग ₹5 करोड़ 82 लाख 15 हजार थी, जिसे निर्धारित मानकों के अनुरूप मेसर्स सिलिकॉन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, भादो, माहुल, मार्टीनगंज, जनपद आजमगढ़ स्थित इंसीनिरेटर/बॉयलर के माध्यम से नष्ट कराया गया था। संपूर्ण प्रक्रिया की फोटो एवं वीडियोग्राफी कराते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया गया।

उक्त अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के सराहनीय कार्यों के दृष्टिगत आज दिनांक 05.08.2026 को **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार** द्वारा उन्हें **प्रशस्ति पत्र** प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित अधिकारी/कर्मचारियों में एडीजीसी एनडीपीएस एक्ट, विशेष मालखाना निस्तारण सेल, डीसीआरबी, सदर मालखाना, कोर्ट मोहर्रिर शाखा सहित विभिन्न थानों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।

प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मी-

1- हरिराम यादव, ए0डी0जी0सी0 एन0डी0पी0एस0 एक्ट जनपद आजमगढ़।
2- उ0नि0 प्रकाश मिश्रा, प्रभारी वि0मा0नि0सेल जनपद आजमगढ़।
3- आरक्षी शेषनाथ यादव, वि0मा0नि0सेल जनपद आजमगढ़।
4- आरक्षी प्रदीप कुमार शाह वि0मा0नि0सेल, जनपद आजमगढ़।
5- मुख्य आरक्षी मुकेश गिरी, डी0सी0आर0बी0 जनपद आजमगढ़।
6- हे0का0उदय नरायन तिवारी, सदर मालखाना जनपद आजमगढ़।
7- आरक्षी मिथिलेश कुमार यादव, कोर्ट मोहर्रिर जनपद आजमगढ़।
8- आरक्षी शिवम कुमार पाल, कोर्ट मोहर्रिर जनपद आजमगढ़।
9- हे0का0शमशाद अहमद, कोर्ट मोहर्रिर जनपद आजमगढ़।
10- आरक्षी रोहित कुमार मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर जनपद आजमगढ़।
11- आरक्षी वरुण सिंह, कोर्ट मोहर्रिर जनपद आजमगढ़।
12- हे0मो0 प्रमोद कुमार, रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
13- हे0मो0 प्रदीप कुमार, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
14- हे0मो0 राजबहादुर, थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
15- हे0मो0 आनन्द कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
16- हे0मो0 राजेन्द्र प्रसाद, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध अपने अभियान को निरंतर प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति
थाना पवई, जनपद आजमगढ़

शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने व मारपीट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को कलान मोड़ से किया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा

दिनांक 16.06.2026 को थाना पवई पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अनुराग पुत्र फिरतू निवासी नरसिंहपुर, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर ने विगत लगभग छह माह से शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी के लिए कहने पर गाली-गलौज करते हुए शादी से इनकार कर दिया तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 151/2026 धारा 69/352/351(3)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 शिवकुमार यादव द्वारा की जा रही है।

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 05.08.2026 को उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त अनुराग पुत्र फिरतू निवासी नरसिंहपुर, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र लगभग 23 वर्ष को कलान मोड़ से समय करीब 12:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 151/2026, धारा 69/352/351(3)/115(2) बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त
अनुराग पुत्र फिरतू, निवासी नरसिंहपुर, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र लगभग 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव, का0 नितिन मिश्रा, का0 संदीप प्रजापति थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

*